भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 29
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों की स्थिति

***29. डॉ. बायरेड्डी शबरी:**
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार तथा आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार कुल कितने आवेदन लंबित हैं और ऐसे कुल कितने दावों का निपटारा नहीं हुआ है;
(ख) आन्ध्र प्रदेश के जिला-वार आंकड़ों सहित राज्य-वार एसे लंबित दावों की औसत राशि और कुल वित्तीय देयता कितनी है;
(ग) राज्य-वार और आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार तीन महीने, छह महीने और एक वर्ष से अधिक समय सें लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है और सभी लंबित आवेदनों और दावों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है;
(घ) दावों के निपटान में विलंब के क्या कारण हैं और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या भुगतान न किए जाने, आंशिक भुगतान अथवा विलंब के संबंध में किसानों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा तथा आंध्रप्रदेश का जिला वार व्योरा क्या है; और
(च) क्या सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दक्षता, पारदर्शिता और शिकायत निवारण में सुधार करने के लिए किन्हीं सुधारों पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च) : विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों की स्थिति के संबंध में दिनांक 22 जुलाई, 2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (च): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्र आधारित/व्यापक आपदा/सीजन की समाप्ति पर दावों के मामले में, राज्य सरकार को अंतिम फसल कटाई के एक महीने के भीतर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर वास्तविक और थ्रेशहोल्ड उपज का डेटा प्रस्तुत/अपलोड करना होता है। अंतिम दावों की गणना, NCIP पर की जानी है और NCIP पर दावों की गणना से 21 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना होता है। इन मामलो में किसानों को दावो के लिए सूचना देना आवश्यक नहीं है।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय आपदाओं और फसलोपरांत नुकसान के मामले में जहां दावों की गणना और भुगतान वैयक्तिक खेत स्तर पर किया जाता है, किसानों को राज्य सरकार, बीमा कंपनी तथा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल आदि पर ऑनलाइन नुकसान की सूचना देनी होती है और राज्य के आदेश/घटना की अधिसूचना के तीस दिनों के भीतर दावों का भुगतान किया जाता है।

लंबित दावों की संख्या का राज्यवार विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में लंबित दावों का जिलावार विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है। दावों के लंबित रहने के कारण निम्नलिखित हैं।

बीमा मॉडल पारदर्शी बोली (बिडिंग) प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल हानि का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। योजना के उचित निष्पादन के लिए योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों (ऑपरेशनल गाइडलाइन्स) में प्रत्येक स्टेकहोल्डरों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

बीमा कंपनियों द्वारा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिकांश दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। हालाँकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्यतः **(क) राज्य सरकार को सब्सिडी का हिस्सा प्रदान करने में देरी करने (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/देरी से भुगतान या कम भुगतान करना (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि थीं।** इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- सरकार ने **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** को सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और सेवाओं की डिलिवरी जैसे किसानों के डायरेक्ट ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए बीमित किसानों के वैयक्तिक विवरण को अपलोड/प्राप्त करने और किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि के भुगतान हेतु डेटा के सिंगल सोर्स के रूप में विकसित किया है।
- दावों के भुगतान की प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी हेतु खरीफ 2022 से **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल आरंभ किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों को समय पर और पारदर्शी ढंग से प्रॉसेस किया जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो NCIP के माध्यम से ऑटो-कैलकुलेट करते हुए 12% का जुर्माना स्वचालित रूप से लगा दिया जाता है।

- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग कर दिया गया है, ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **CCE Agri App** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग डेटा को कैप्चर करने और इसे NCIP पर अपलोड करने, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देने, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

इस योजना के अंतर्गत, हाल ही में वर्ष 2023-24 से फसल क्षति एवं हानि के वस्तुगत आकलन तथा पारदर्शिता हेतु निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. **यस-टेक (टेक्नॉलजी पर आधारित यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम)**- उसके तहत रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान किया जाता है ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिल सके। यह पहल, खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई थी जिसमें उपज अनुमान में 30% भार अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाता है। खरीफ 2024 सीजन से सोयाबीन की फसल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।

ii. **विंड्स (वेदर इन्फर्मेशन नेटवर्क ऐंड डेटा सिस्टम)**- यह तकनीक, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के 5 गुना के बराबर ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन्स (AWS) और ऑटोमैटिक रेन गेजेज (ARG) के नेटवर्क को सेट-अप करने के लिए है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ समन्वय करते हुए डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी और शेयरिंग के साथ AWS और ARG के एक राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस में फीड किया जाएगा। विंड्स, न केवल यस-टेक के लिए बल्कि सूखा और आपदा के प्रभावी प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

चूँकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित सभी शिकायतों के समाधान हेतु, योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों में **स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र** अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को परिचालन दिशानिर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटारा किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई है ।

विभाग सभी हितधारकों की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत बैठक और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और स्टेकहोल्डर्स /अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के विचारों के आधार पर, बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को और अधिक किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में व्यापक संशोधन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ पात्र किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचें।

अनुबंध-I

PMFBY और RWBCIS दिनांक 30.06.2025 तक लंबित दावों का राज्यवार विवरण	
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**कुल लंबित दावें (रुपये करोड़ में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
आंध्र प्रदेश	***2565.8***
असम	32.2
बिहार	0
छत्तीसगढ	137.6
गोवा	0
गुजरात	130.3
हरियाणा	65.5
हिमाचल प्रदेश	7.2
जम्मू और कश्मीर	4.6
झारखंड	27.2
कर्नाटक	29.6
केरल	0.7
मध्य प्रदेश	1469.8
महाराष्ट्र	334.4
मणिपुर	0
मेघालय	0.7
ओडिशा	15.5
पुदुचेरी	2.6
राजस्थान	1531.8
सिक्किम	0
तमिलनाडु	126.3
तेलंगाना	0
त्रिपुरा	0.3
उत्तर प्रदेश	121.1
उत्तराखंड	0.4
पश्चिम बंगाल	0.5
कुल	**6,604**

अनुबंध –II

आंध्र प्रदेश :: PMFBY और RWBCIS :: दिनांक 30.06-2025 तक लंबित जिला/मौसमवार अनंतिम दावों को दर्शाने वाला विवरण (उपलब्ध उपज और मौसम के आंकड़ों के आधार पर राज्य कृषि विभाग द्वारा अनुमानित)										
जिला (आंध्र प्रदेश)	रबी 2022-23		खरीफ 2023		रबी 2023-24		खरीफ 2024		कुल	
	लंबित दावा (रु . करोड़ में)	किसानों के आवेदन (सं.)	लंबित दावा (रु . करोड़ में)	किसानों के आवेदन (संख्या)	लंबित दावा (रु . करोड़ में)	किसानों के आवेदन (सं.)	लंबित दावा (रु . करोड़ में)	किसानों के आवेदन (सं.)	लंबित दावा (रु . करोड़ में)	किसानों के आवेदन (सं.)
अल्लूरी सीतारामाराजू	0.00	0	52.98	14,620	58.83	30,095	0.31	2,699	112.12	47,414
अनकापल्ली	0.00	0	5.52	31,167	93.22	34,237	0.29	5,531	99.02	70,935
अनंतपुरम	0.00	0	295.87	2,34,715	61.00	45,497	64.87	26,529	421.74	3,06,741
अन्नमय्या	0.00	0	27.05	73,815	17.30	15,851	0.00	0	44.34	89,666
बापतला	0.004	25	46.46	41,542	9.54	38,727	17.82	26,016	73.83	1,06,310
पूर्वी गोदावरी	0.16	1,220	13.82	19,142	36.11	17,494	1.56	795	51.65	38,651
एलुरु	0.00	0	21.16	19,006	49.98	15,178	7.77	4,728	78.90	38,912
गुंटूर	0.00	0	42.54	60,205	10.50	33,864	0.99	1,926	54.03	95,995
काकीनाडा	2.74	16,789	17.01	39,647	40.48	42,839	12.54	11,690	72.76	1,10,965
डॉ. बी.आर.अम्बेडकर कोनासीमा	0.29	998	22.47	35,853	2.79	19,944	3.07	12,975	28.62	69,770
कृष्णा	1.91	13,859	2.88	4,440	5.34	38,972	38.57	23,210	48.70	80,481
कुरनूल	0.00	0	316.22	3,73,860	35.87	32,281	0.04	326	352.13	4,06,467
नांदयाल	4.24	22,624	56.21	99,210	123.08	75,138	0.00	0	183.52	1,96,972
एनटीआर	1.50	4,665	55.50	71,180	4.23	11,034	53.17	24,289	114.41	1,11,168
पी.मन्यम	6.52	1,334	11.20	42,536	36.38	24,558	0.00	0	54.10	68,428
पालनाडु	1.80	3,825	33.70	1,19,899	1.67	2,699	0.58	2,161	37.75	1,28,584
प्रकाशम	57.41	64,160	30.43	38,966	35.98	39,667	0.00	0	123.83	1,42,793
श्री सत्य साईं	0.00	0	144.35	1,85,268	16.46	11,765	3.08	10,979	163.89	2,08,012
एसपीएसएल नेल्लोर	8.34	17,281	0.77	1,549	91.84	15,732	0.29	437	101.24	34,999
श्रीकाकुलम	0.86	11,576	55.32	1,24,336	18.50	48,082	0.92	2,268	75.59	1,86,262
तिरुपति	3.34	14,708	1.34	9,495	37.50	10,591	0.00	0	42.18	34,794
विजयनगरम	0.00	0	8.45	51,383	13.03	6,269	0.00	0	21.48	57,652
पश्चिम गोदावरी	0.24	1,354	26.63	43,283	0.08	472	17.59	11,737	44.54	56,846
वाईएसआर कडप्पा	16.51	22,931	49.53	71,986	89.89	1,09,075	1.41	11,334	157.34	2,15,326
चित्तूर		0	7.52	38,624	0.61	1,824	0.00	0	8.13	40,448
कुल	**105.85**	**1,97,349**	**1344.91**	**18,45,727**	**890.21**	**7,21,885**	**224.87**	**1,79,630**	**2,565.84**	**29,44,591**

******